बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980

अधिसूचना

[दिनांक 13 जून, 1980]

सं० 3/ए०-1/3-5/80-5678/वि०—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. (i) यह नियमावली बिहार राज्य कर्मचारी (मकान भाड़ा भत्ता) नियमावली, 1980 कहलाएगी ।

(ii) यह नियमावली 1ली अप्रैल, 1980 से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ—इस नियमावली के प्रयोजनार्थ—

(क) **"वेतन"** से अभिप्रेत है, बिहार सेवा संहिता के नियम 34 में परिभाषित वेतन;

(ख) **"किराया"** से अभिप्रेत है, किरायेदार के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए सुसज्जित आवास के प्रतिफल में चुकाया गया चार्ज, तथा यदि वह मकान मालिक हो, तो उसके मकान की मरम्मति से सम्बन्धित 10 प्रतिशत छूट को घटाए बगैर उस मकान का नगरपालिका प्रयोजन के लिए अथवा अन्यथा विनिर्धारित सकल भाटक मूल्य (Gross Rental value) और दोनों ही दशाओं में इसमें नगरपालिका एवं अन्य कर भी सम्मिलित होंगे, किन्तु वैसे सेवा कर जो अलग से लिए जाते हों तथा जो इसी रूप में वर्णित हों और विधिक रूप से जिसका भुगतान उसके द्वारा किया जाने वाला हो जो उसमें रहता हो, सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) **"परिवार"** से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की/का/पत्नी/पति, बच्चे तथा अन्य व्यक्ति जो उसके साथ रहते हों और पूर्णतया उस पर आश्रित हों । कोई पति/पत्नी/बच्चा- बच्ची/माता/-पिता जिसका अपना स्वतन्त्र आय-स्रोत हो और यदि ऐसी आय यदि पेंशन (पेंशन में अस्थाई बढ़ोत्तरी तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ के समतुल्य पेंशन को जोड़कर) सहित 250 रु० प्रतिमाह से अधिक हो तो उसे उस परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा ।

3. राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता निम्न रूप में अनुमान्य होगा:—

(क) भत्ता की दरें

नगर/शहर की कोटि	दरें
'ए' कोटि	
'बी-1' कोटि	वेतन का 15% अधिकतम 400 रु० प्रतिमाह
'बी-2' कोटि	
'सी' कोटि	वेतन का 7·5% अधिकतम 200 रु० प्रतिमाह

टिप्पणी—[1][1,069 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा भुगतान किए जानेवाले किराए को ध्यान में रखे बगैर मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा । [1][1,069 रु० से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों के मामले में किराया रसीद प्रस्तुत करना एवं उसका सत्यापन अनिवार्य होगा ।

(ख) किराया रसीद की जाँच

(i) [1][1,069 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा चुकाए गए मकान किराया की राशि को ध्यान में रखे बिना ही मकान भाड़ा भत्ता देय होगा। किन्तु, [1][1069 रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी यदि मकान किराया रसीद जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं करते हों तो उन्हें भी उसी दर पर मकान किराया भाड़ा प्राप्त होगा जिस दर पर उसी स्थान पर कार्य करने वाले [1][1,069 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा । उनके द्वारा उच्चतर दर पर मकान किराया भत्ता तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब वे मकान किराया रसीद प्रस्तुत करने की स्थिति में हों ।

(ii) नियम 9 (क) के अनुसार सरकारी सेवक को अपने प्रथम मकान भाड़ा भत्ता के दावे के साथ तथा हर वर्ष जनवरी और जुलाई में अनुसूची II, III-क, III-ख अथवा III-ग में विहित फारम में एक प्रमाण-पत्र

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/ए3-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित ।

देना होगा । इन प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ मकान किराया रसीद भी प्रस्तुत करना होगा । यदि अन्तिम प्रमाण-पत्र देने के बाद उसके किसी उपबन्ध में कोई परिवर्त्तन हुआ हो, जिसके कारण इस भत्ते की अनुमान्यता में कोई वृद्धि अथवा घटोत्तरी हो, तो ऐसा परिवर्त्तन होते ही मकान किराया रसीद के साथ एक नया प्रमाण-पत्र देना होगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि जाँच सिर्फ प्रस्तुत मकान किराया रसीदों से ही सम्बन्धित होगा । यदि मकान किराया रसीदों में दिए गए विवरणों के सम्बन्ध में प्रशासी प्राधिकारियों को कोई शंका हो तो अलग से जाँच-पड़ताल की जाए ।

(iii) अराजपत्रित अधिकारियों के मकान किराया रसीदों की जाँच के जिम्मेवारी कार्यालय-प्रधान पर होगी और राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि जाँच, अपेक्षित तरीके से हो । विभागाध्यक्ष के मामले में आवश्यक जाँच सम्बद्ध प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी, राजपत्रित अधिकारी महालेखाकार के समक्ष एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि नियम 9 (क) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ अलग से मूल किराया रसीद जाँच के लिए विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, ताकि सम्बन्धित अधिकारी को मकान किराया भत्ता की निकासी के लिए महालेखाकार प्राधिकृत कर सकें । इसके साथ-साथ वे मूल किराया रसीद के सहित उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति अपने किराया रसीदों की जाँच के साथ सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

अनुमान्यता वाले क्षेत्र

4. (क) (i) इस नियमावली के प्रयोग के परिक्षेत्र होंगे, नामित नगरपालिका या नगर निगम तथा उसके अन्तर्गत उप नगरीय नगरपालिकाएँ, अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनी जो नामित नगरपालिकाओं या नगर निगमों से सटे हुए हों अथवा अन्य क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें ।

(ii) सम्बद्ध राज्य सरकार जिस तिथि को किसी क्षेत्र को नामित नगर पालिका या नगर निगम, अन्तर्गत ले आएगी या इससे अलग कर देगी उसी तिथि से यथास्थिति उस क्षेत्र पर भी यह नियमावली स्वत: लागू हो जाएगी या इस नियमावली का लागू होना बन्द हो जाएगा ।

(ख) (i) जिस सरकारी सेवक का कार्यस्थल किसी नगर की अर्हक सीमा के अन्तर्गत पड़ता हो तो वह मकान भाड़ा भत्ता पाने का हकदार होगा भले ही उसका निवास स्थान ऐसी सीमा के अन्तर्गत हो या उससे बाहर ।

टिप्पणी 1—अवकाश को छोड़ छुट्टियों के दौरान लिए गए कार्यस्थल से अनुपस्थिति का प्रभाव मकान भाड़ा भत्ता की हकदारिता पर नहीं पड़ेगा ।

टिप्पणी 2—सरकारी सेवक के दौरे की अवधि के लिए उसे इस भत्ता की हकदारिता का विनियमन उसके मुख्यालय के आधार पर होगा ।

(ख) (ii) यदि किसी सरकारी सेवक का कार्यस्थल किसी अर्हक नगर के समीप हो, किन्तु अनिवार्यत: उसे नगर में रहना पड़ता हो, तो उसे उस नगर के लिए अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता दिया जा सकेगा । इस खण्ड के अधीन इस भत्ता की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों के मामले में प्राधिकृत हैं,परन्तु, उनकी सन्तुष्टि हो जाए कि—

(1) कार्य-स्थल एवं अर्हक नगर के नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है; और

(2) सम्बद्ध कर्मी को अनिवार्यत: अर्थात् कार्य-स्थल के नजदीक आवास की कमी के कारण, अर्हक नगर में रहना पड़ रहा है ।

उदाहरणार्थ—पटना शहरी समूह के निकटवर्ती क्षेत्रों फतुहा, खगौल नगरपालिका इत्यादि के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है जहाँ पर प्रखण्ड कार्यालय स्थित है और इन कार्यालय में कार्यरत सरकारी सेवकों को स्थानाभाव के कारण पटना शहरी के अन्दर रहना पड़ता है ।

इस प्रकार की सुविधा पूर्णियाँ नगरपालिका के पश्चिम सीमा से 8 किलोमीटर के अन्दर स्थित कृत्यानन्द नगर प्रखण्ड कार्यालय के सरकारी सेवकों को भी दी जा सकती है ।

टिप्पणी 1—नियम 4 (ख) (ii) केवल उन्हीं स्थानों में लागू होंगे, जो वर्गीकृत नगरों के नगरपालिका सीमा के 8 किलोमीटर के अन्तर्गत हों, किन्तु किसी नगर के शहरी समूह के अन्तर्गत सम्मिलित न हों । परिशिष्ट (iv) में उल्लिखित वर्गीकृत नगर के शहरी समूह के क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को अनुमान्य दरों पर मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा ।

सरकारी आवास अधिभोग करने वाले या उसका अस्वीकार करने वाले मकान भाड़ा भत्ता के हकदार नहीं

5. मकान भाड़ा भत्ता निम्नलिखित शर्त्तों के अध्यधीन दिया जाएगा—

(क) जो सरकारी सेवक, सरकारी आवास के हकदार हों, उन्हें यह भत्ता तभी अनुमान्य होगा, यदि वे विहित प्रक्रिया यदि कोई हो, के अनुसार ऐसे आवास के लिए आवेदन किए हों, किन्तु उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

(ख) (i) उन्हें यह भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो सरकार द्वारा उपबन्धित आवास का अधिभोग करते हों अथवा जिन्हें आवास देने का प्रस्ताव किया गया हो, किन्तु उसे अस्वीकार कर दिए हों। आवास अस्वीकार करने वालों के मामले में यह भत्ता उस अवधि तक के लिए अनुमान्य नहीं होगा, जिस अवधि के लिए उस सरकारी सेवक को, उस पर लागू आवंटन नियमावली के अधीन सरकारी आवास के आगे आवंटन से वंचित कर दिया गया हो।

(ii) सरकारी आवास का आवंटन स्वीकार करने वाले सरकारी सेवक द्वारा लिया जा रहा मकान किराया भत्ता सरकारी आवास का कब्जा लेने की तिथि से अथवा आवंटन किए जाने के आठवें दिन से, जो भी पहले हो, बन्द कर दिया जाएगा। सरकारी आवास का आवंटन स्वीकार करने की दशा में मकान किराया भत्ता सरकारी आवास के आवटन की तिथि से बन्द कर दिया जाएगा। सरकारी आवास के अभ्यर्पण की दशा में, यदि अन्यथा अनुमान्य हो, तो मकान किराया भत्ता ऐसे अभ्यर्पण की तिथि से देय होगा।

टिप्पणी—सरकारी आवास के अभ्यर्पण की दशा में, यदि अन्यथा अनुमान्य हो, तो मकान किराया भत्ता उस तिथि से देय होगा, आवास नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा जिस तिथि से 'आवास रहित प्रमाण-पत्र' जारी किया जाए।

(iii) सरकारी सेवक यदि खण्ड (ख) (i) में समाविष्ट बातों को छोड़, अप्राधिकृत तौर पर किराए पर लगाने या नियम भंग करने के अन्य कारण से सरकारी आवास के आवंटन से विवर्जित किया गया हो तो वह सामान्य शर्त्तों के अध्यधीन, ऐसे विवर्जन की अवधि तक मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। वह आवेदन किया हो, किन्तु उसे सरकारी आवास का उपबन्ध नहीं किया गया हो, की शर्त्त उसके मामले में लागू नहीं की जाएगी।

(iv) सरकारी-सेवक जिस वर्ग के आवास-गृह का हकदार हो उससे भिन्न वर्ग का आवास-गृह को अस्वीकार करे तो उसे इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अस्वीकार करना तब तक नहीं माना जाएगा जबतक कि उसे अपनी परिलब्धि के आधार पर अनुमान्य वर्ग के आवास गृह से ठीक निचले वर्ग के आवास के लिए आवेदन करने का विकल्प हो और उसके आवेदन पर आवंटित ऐसे आवास को लेना वह अस्वीकार न कर दे।

(v) सरकारी सेवक के अपने आवेदन पर पारी के परे आवंटित कोई आवास (एक कोठरी का हॉस्टल-आवास या हॉस्टल-आवास, जहाँ भोजन करना एवं सेवा-चार्ज देना अनिवार्य हो, से अन्यथा) आवंटित लेना अस्वीकार करें तो उसे इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अस्वीकार करना माना जाएगा, चाहे उपबन्धित आवास इस वर्ग से निम्नतर वर्ग का ही क्यों न हो, जिसके लिए वह हकदार हो।

(vi) कामकाजी महिला हॉस्टल या सरकार द्वारा संचालित हॉस्टलों में रहनेवाली महिला सरकारी सेवक मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे, स्वशासी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हॉस्टलों में रहने वाले सरकारी सेवक (अर्थात्, राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों हॉस्टल-आवास आवंटित किया जाए और उनसे बाजार दर पर किराया न लेकर अनुमानित दर पर किराया लिया जाए) मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

(vii) स्थानान्तरित सरकारी सेवक को यदि पुराने स्थान पर सामान्य किराया या दांडिक किराया पर सरकारी आवास रखने के अनुज्ञा दी गई हो तो नए स्थान पर वह मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा।

(viii) पुराने स्थान पर, जो सरकारी सेवक को सरकारी आवास में नहीं रहता हो और स्थानान्तरण होने पर वह अपना परिवार पुराने स्थान पर ही छोड़ देता हो, क्योंकि नए स्थान पर उसने किराए पर मकान नहीं लिया या उसे कोई सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया, तो वह नए स्थान पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह तक या किराए पर मकान लेने तक या सरकारी आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले

हो, मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। ऐसे मामले में मकान किराया भत्ता का विनियमन, नियम 3 के निबंधनों के अनुसार कार्य-स्थल के आधार पर मकान किराया भत्ता की हकदारिता पर ध्यान दिए बगैर, निम्नांकित रूप में किया जाएगा।

(1) नए स्थान पर प्रभार ग्रहण की तिथि से दो माह तक	उसी दर पर जिस दर पर पुराने स्थान पर दिया जाता था।
(2) अगले चार माह तक	पुराने स्थान पर उसके द्वारा जिस दर से लिया जाता था या नए स्थान पर उसके द्वारा किराए पर मकान लेने की दशा में जो अधिकतम उसे अनुमान्य होता, दोनों में जो भी कम हो।

दोनों ही दशा में, इन उपबंधों के अधीन मकान किराया भत्ता उस तिथि के बाद अनुमान्य नहीं होगा। जिस तिथि को वह नए स्थान में किराए पर मकान ले ले या उसे सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाए।

(ix) 90 दिनों से अधिक अवधि के स्थानान्तरण के दौरान सरकारी सेवक उसी दर से मकान भाड़ा भत्ता की निकासी करेगा जिस दर का हकदार वह स्थानान्तरण के समय था। किन्तु, इस भत्ता की मात्रा का अवधारण सरकारी सेवक के उस वेतन के सन्दर्भ में किया जाएगा जो वह स्थानान्तरण नहीं होने पर निकासी करता। 90 दिनों से अधिक अवधि के स्थानान्तरण की दशा में यह भत्ता नए मुख्यालय के सन्दर्भ में विनियमित किया जाएगा। यदि कोई स्थानान्तरण प्रारम्भिक तौर पर 90 दिनों से अनधिक अवधि के लिए किया गया हो और बाद में बढ़ा दिया जाए, तो स्थानान्तरण-अवधि बढ़ाए जाने का आदेश निर्गत होने की तिथि तक या 90 दिनों तक, जो भी कम हो, मकान भाड़ा भत्ता भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी—प्रारम्भिक तौर पर 90 दिनों से अनधिक अवधि के लिए किए गए अस्थाई स्थानान्तरण, किन्तु बाद में इस अवधि से अधिक के लिए बढ़ाए गए स्थानान्तरण की दशा में सरकारी सेवक नियम 5 (ख) (viii) में अन्तर्विष्ट उपबंध का लाभ स्थानान्तरण को स्थाई स्थानान्तरण में सम्परिवर्त्तित करने वाला आदेश निर्गत होने की तिथि से या 90 दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, दिया जाएगा।

मकान भाड़ा भत्ता की निकासी की शर्त्तें

6. (क) खण्ड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी सरकारी सेवक उस राशि से अधिक मकान भाड़ा निकासी नहीं करेगा, जितना वह अपने वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक वास्तविक भाड़ा भुगतान करता हो।

(ख) (i) यदि सरकारी सेवक अपने वास कोई भाग दर किराए पर देता हो या अपने परिवार से इतर एक या अधिक वयस्क व्यक्तियों चाहे वह/वे सरकारी सेवक हो या नहीं, के साथ साझा करता हो, तो उसे अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता परिगणित करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा मकान मालिक को वास्तव में भुगतान किए जानेवाले भाड़ा से 40 प्रतिशत या उप किराएदार/साझेदार से उसके द्वारा वास्तव में चार्ज किए जा रहे भाड़े, जो भी अधिक हों, की कमी कर दी जाएगी, जहाँ सरकारी सेवक द्वारा किराया पर लिया गया वास, जिसके लिए वह मकान भाड़ा भत्ता का दावा करता हो, का उपभोग वास्तविक आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन से करता हो, वहाँ भी 40 प्रतिशत की कमी की जाएगी,

(ii) यदि उप किराएदार या साझेदार भी सरकारी सेवक हों, तो उसे भी मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा, भत्ता की राशि की गणना मुख्य किराएदार को उसके द्वारा वास्तव में भुगतान किए जाने वाले किराए पर की जाएगी।

टिप्पणी 1—घर में नौकर रखना उप किराए पर देना या वास के किसी भाग को साझे पर देना नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 2—उपर्युक्त नियम के अपवादस्वरूप, जहाँ कोई सरकारी सेवक अपना वास अपनी पत्नी/अपने पति/माता-पिता/पुत्र/पुत्री/अविवाहित बहन, जो भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वशासी लोक उपक्रम/अर्द्धसरकारी संगठन, जैसे नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, आदि का कर्मचारी हो वहाँ उसे अन्य पति/पत्नी/माता-पिता/पुत्र/पुत्री कोई मकान भाड़ा भत्ता न लें इस शर्त्त के अध्यधीन उसे (सरकारी सेवक) उसके द्वारा वास्तव में भुगतान किए जाने वाले किराए से 40 प्रतिशत की कमी किए बगैर मकान भाड़ा भत्ता की निकासी करने के विकल्प की अनुमति दी जा सकेगी।

टिप्पणी 3—खंड (ख) (i) में निर्दिष्ट 40 प्रतिशत की वहाँ नहीं की जाएगी जहाँ पति/पत्नी/माता-पिता/पुत्र/पुत्री/अविवाहित बहन निजी क्षेत्र में नियोजित हो/हों या स्वनियोजित हो/हों या पेंशनधारी हों या/और किसी सम्पत्ति/निवेश से 250 रु० प्रतिमाह से अनधिक आय प्राप्त करता/करते हों।

(ग) सरकारी सेवक मकान भाड़ा भत्ता का हकदार नहीं होगा, यदि—

(i) वह उसे आवंटित किराया मुक्त सरकारी वास दूसरे सरकारी सेवक के साथ साझा करता हो, या

(ii) वह उसके माता-पिता/पिता/पुत्र/पुत्री को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा, नगपालिका, पोर्टट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, आदि द्वारा आवंटित वास में निवास करता/करती हो ।

(iii) उसकी पत्नी/उसके पति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा, नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्थान पर आवास आवंटित किया गया हो, और वह उस आवास में रहता/रहती हो या वह किराए पर लिए गए अलग आवास में रहता हो।

(घ) नेमी तौर पर किराया-रसीद का अर्द्धवार्षिक परीक्षण अभिमुक्त कर दिया जाएगा, किन्तु अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में कार्यालय-प्रधान, राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में विभागाध्यक्ष या सरकारी सेवक स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो प्रशासी विभाग को किराया-रसीद की जाँच-परीक्षण करने तथा दावा किया गया किराया युक्तियुक्त है या नहीं इस पर विचार करने का अधिकार होगा ।

(ङ) खंड (क) और (ख) के अपवाद स्वरूप, [1][1,069 रु०] तक वेतन प्राप्त करने वाला अपने स्वामित्व वाले मकान में रहनेवाला सरकारी सेवक से भिन्न [1][1,069 रु०] तक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक यदि अन्य सरकारी सेवकों [उन्हें छोड़कर जिनका उल्लेख ऊपर (ग) में किया गया है] को आवंटित आवास में साझे में रहता हो या अन्य सरकारी सेवक [उन्हें सहित जिनका उल्लेख (ग) (iii) में किया गया है] के निजी आवास में रहता हो तब भी नियम 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान भाड़ा भत्ता पाने को पात्र होंगे, केवल इस शर्त्त के अध्यधीन कि, वे किराया देते हों या किराया मद में या मकान या सम्पत्ति कर मद में अंशदान करते हों, किन्तु वास्तव में भुगतान या अंशदान की जानेवाली का प्रतिनिर्देश नहीं किया जाएगा । नियम 8 के अपवाद स्वरूप, ऐसे सरकारी सेवक, जिनका वेतन [1][1,069 रु०] से अधिक न हो, जो अपने मकान में रहता/रहती हो या उस हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले मकान में रहता/रहती हों जिसका वह सहभागीदार हो, को मकान भाड़ा भत्ता नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित सकल भाटक मूल्य की राशि का प्रतिनिर्देश किए बगैर दिया जाएगा । इस प्रकार, ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में, मकान भाड़ा भत्ता के दावा के प्रयोजनार्थ नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित भाटक-मूल्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा ।

टिप्पणी—ऐसे मामलों में, जहाँ पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे में से दो या अधिक केन्द्र सरकार का सरकारी सेवक या राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा, नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि का कर्मचारी हो, और दूसरे सरकारी सेवक को आवंटित आवास में साझा रहता हो वहाँ उनकी इच्छानुसार किसी एक को ही मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा ।

"आवास" शब्द के अन्तर्गत राज्य-सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम, अर्द्धसरकारी संगठन, यथा, नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, आदि के कर्मचारियों को आवंटित आवास सम्मिलित है ।

विभिन्न परिस्थितियों में मकान भाड़ा भत्ता का विनियमन

7. निम्नलिखित दशाओं में मकान भाड़ा भत्ता की निकासी नीचे वर्णित रूप में विनियमित होगी—

(क) छुट्टी—(i) छुट्टी के दौरान सरकारी सेवक उसी दर पर मकान भाड़ा भत्ता निकासी करने का हकदार होगा जिस दर पर वह छुट्टी पर जाने से पहले यह भत्ता निकासी करता था । इस प्रयोजनार्थ, छुट्टी से अभिप्रेत है सभी प्रकार की छुट्टी मिलाकर 4 माह से अनधिक हो या पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली द्वारा शासित सरकारी सेवकों की दशा में 120 दिन और यदि छुट्टी की वास्तविक अवधि उस अवधि से अधिक हो तो छुट्टी का प्रथम 4 माह/120 दिन, किन्तु, इसमें सेवान्त छुट्टी सम्मिलित नहीं होगी, चाहे वह नोटिस अवधि सहित या नोटिस अवधि रहित साथ-साथ ही क्यों न हो । जब विश्रामावकाश या सार्वजनिक छुट्टियाँ छुट्टी के साथ जोड़ी जाएँ तब विश्रामावकाश या सार्वजनिक छुट्टी तथा छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि को छुट्टी का एक दौरा गिना जाए ।

मकान भाड़ा भत्ता सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी या अस्वीकृत छुट्टी अर्थात्, जहाँ सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी लोकहित में अस्वीकृत किया गया हो, के दौरान भी अनुमान्य होगा और सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालय त्याग करने के

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/ए3-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

बाद भी इसका हकदार होगा, इस प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन कि सम्बन्धित कर्मचारी और/या उसका परिवार उसी स्थान/उसी जगह रह रहा है। परन्तु अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के दौरान, उपर्युक्त भत्ता एकमुस्त बन्दोबस्ती के अंश के रूप में भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि जिस माह की छुट्टी अस्वीकृत की जाए उस माह की समाप्ति पर प्रत्येक माह बकाए के रूप में भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी 1—वैसे सरकारी सेवकों, जिन्हें मूलत: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर चार माह से अधिक के लिए छुट्टी दी गई हो और अन्ततोगत्वा उसे अशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्त होना पड़े, के मामले में पूरी छुट्टी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी हो जाएगी तथा निकासी कर लिया गया मकान भाड़ा भत्ता की वसूली करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार के सेवकों, जिन्हें मूलत: चिकित्सा के आधार पर अथवा अन्यथा छुट्टी दी गई हो, किन्तु ऐसी छुट्टी के दौरान ही मृत्यु/अशक्तता के कारण ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर वापस न आ सके, के मामले में भी उसी प्रकार विनियमित किया जाएगा।

टिप्पणी 2—विश्रामावकाश की अवधि, चाहे वह छुट्टी के साथ जोड़ी गई हो या नहीं, के दौरान इस भत्ता को उसी प्रकार विनियमित किया जाएगा जिस प्रकार छुट्टी के दौरान किया जाएगा।

टिप्पणी 3—जहाँ सरकारी सेवक को चिकित्सा के आधार पर या अन्यथा छुट्टी स्वीकृत किया गया हो, किन्तु, ऐसी छुट्टी का उपभोग करने के बाद कर्त्तव्य पर वापस न आए और त्याग-पत्र दे दे, वहाँ वह ऐसी छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए मकान भाड़ा भत्ता का पात्र नहीं होगा। सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि त्याग-पत्र, आदि को स्वीकार किए जाने के पूर्व इस मद में निकासी की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली कर ली जाए।

टिप्पणी 4—इस नियम के खंड (ii) में उल्लिखित चिकित्सा के आधार से भिन्न आधार पर 4 माह/120 दिन से अधिक उपभोग की गई छुट्टी की अवधि के दौरान यह भत्ता नियम 9 (घ) में विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन निकासी की जाएगी।

(ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ली गई छुट्टी के दौरान यक्ष्मा, कैंसर या अन्य बीमारियों से पीड़ित सरकारी सेवकों के मामले में इस भत्ता की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ 4 माह/120 दिन की सीमा को 8 माह तक विस्तारित किया जाएगा। छुट्टी चाहे प्रारम्भ से ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो या इस नियम के खंड (i) में यथापरिभाषित अन्य छुट्टी के साथ चालू रहे; यह तत्त्वहीन है। यक्ष्मा, कैंसर या अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी, यदि 8 माह से अधिक अवधि तक छुट्टी पर रहता हो, तो छुट्टी की अवधि चाहे जो भी हो, जबतक चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो तबतक के लिए उसे मकान भाड़ा भत्ता देने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से परामर्श किए बगैर, सम्बन्धित नियन्त्रण पदाधिकारी निर्णय लेगा।

(ख) पद-ग्रहण काल—पद-ग्रहण काल के दौरान, सरकारी सेवक उसी दर से मकान भाड़ा भत्ता की निकासी करता रहेगा जिस दर से वह उस स्थान पर यह भत्ता ले रहा था जहाँ से उसका स्थानान्तरण हुआ हो। किन्तु, जहाँ पद-ग्रहण काल के साथ-साथ छुट्टी भी जोड़ी जाए वहाँ, जबतक किसी दशा में स्पष्टत: अन्यथा उपबन्धित न हो, खण्ड (क) में निर्दिष्ट 4 माह/120 दिन की अवधि के साथ पद-ग्रहण काल जोड़ा जाएगा।

विदेश में प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्त होने के तुरन्त बाद रुके रहने/ठहरे रहने की अवधि के लिए ली गई छुट्टी, जिससे विदेश में प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति अवधि छह माह से अधिक की गई हो, को प्रशिक्षण अवधि नहीं माना जा सकता, इसलिए सम्बन्धित सरकारी सेवक विदेश में प्रशिक्षण पर ली गई छुट्टी अवधि के लिए किसी मकान भाड़ा भत्ता का हकदार नहीं होगा, भले ही छुट्टी प्रशिक्षण के प्रथम छह माह के अन्तर्गत ली गई हो अथवा विदेश में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद।

(ग) विदेश में प्रतिनियुक्ति—विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले पदाधिकारी जिस स्थान से विदेश में प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्थान करते हों उस स्थान पर समय-समय पर अनुमान्य दरों पर मकान भाड़ा भत्ता निम्नलिखित रूप में निकासी करने का हकदार होगा।

(i) एक वर्ष के अनधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति—मकान भाड़ा भत्ता प्रतिनियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति—एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाला कर्मचारी उस समय तक मकान भाड़ा भत्ता का हकदार होगा जबतक उसका परिवार भारत में उसके अन्तिम कर्त्तव्य स्थल पर रहे। यदि कोई कर्मचारी विदेश में प्रतिनियुक्ति स्थान पर

अपना परिवार ले जाने की अनुमति के लिए या भारत में अपने मुख्यालय से अपने गृह शहर या किसी अन्य स्थान तक परिवार की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के लिए आवेदन करता हो तो ऐसी दशा में उससे उस तिथि तक मकान भाड़ा भत्ता लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिस तिथि तक उसका परिवार भारत में उसके अन्तिम मुख्यालय में वास्तव में निवास करे।

(iii) प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए हो, किन्तु अन्ततोगत्वा एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा दी जाए—एक वर्ष से आगे की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के आदेश की तिथि तक मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा। तत्पश्चात्, यह भत्ता इस नियम के खंड (ग), उपखंड (i) के अनुसार अनुमान्य होगा।

(iv) इस उपखंड के अधीन भत्ता की निकासी नियम 9 (घ) में विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी।

(घ) विदेश में प्रशिक्षण—भारत सरकार द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी चैनलों के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण स्कीमों के अधीन विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक विदेश में प्रशिक्षण के लिए जिस स्थान से प्रतिनियुक्त किया जाएगा उस स्थान पर समय-समय पर अनुमान्य दरों पर मकान भाड़ा भत्ता ऐसे प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए निकासी करने का हकदार होगा, किन्तु नियम 9 (घ) में विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन।

(ङ) भारत में प्रशिक्षण—सरकारी सेवक, जो स्थाई या अस्थाई तौर पर भारत में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, और जिसकी प्रशिक्षण अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 14 (ग) (i) के अधीन कर्त्तव्य पर माना जाता हो, वह ऐसा प्रशिक्षण की पूरी अवधि में प्रशिक्षण स्थल या उसके मुख्यालय में समय-समय पर अनुमान्य दरों, जो भी उसके लिए अधिक अनुकूल हो, पर मकान भाड़ा भत्ता निकासी करने का हकदार होगा। सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्य के जिस स्थान से दूसरे स्थान पर प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करेगा उस स्थान पर अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता का दावा करने के लिए उससे नियम 9 (घ) में विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

टिप्पणी—जिस सरकारी सेवक को दौरा-यात्रा की तरह यात्रा भत्ता लेने की अनुमति दी जाए और वह प्रशिक्षण स्थल पर दैनिक भत्ता लेता हो तो उसे केवल अपने इस मुख्यालय में अनुमान्य दर पर मकान भाड़ा भत्ता लेने का हकदार होगा, जहाँ से वह प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किया हो।

स्पष्टीकरण—यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कोई विभागीय प्रशिक्षणार्थी, जो उस स्थान पर मकान भाड़ा भत्ता ले रहा हो, जहाँ से वह प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करता हो, तो ऐसी दशा में उसे पुराने स्थान पर अनुमान्य दरों पर मकान भाड़ा भत्ता लेने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं; जबकि प्रशिक्षण ऐसे आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र पर दी जाए, जहाँ मात्र प्रशिक्षणार्थी को ही आवास-सुविधा दी गई हो, किन्तु उसे अपने परिवार को रखने के लिए आवास-सुविधा नहीं दी जाती हो और प्रशिक्षणार्थी अपने पुराने मुख्यालय में मकान भाड़ा मद में खर्च वहन करते रहना पड़े।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर वर्णित परिस्थितियों में विभागीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान, मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के लिए शासित अन्य सभी निबंधनों एवं शर्त्तों को पूरा करने के अध्यधीन, अपने पुराने स्थान, जहाँ से वे प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किए हों, पर अनुमान्य दरों पर मकान भाड़ा भत्ता निकासी करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(च) निलम्बन—निलम्बित सरकारी सेवक के लिए मकान भाड़ा भत्ता की निकासी का विनियमन निलम्बन की तिथि से चार माह/120 दिन के बाद की अवधि के लिए भी करने सम्बन्धी नियम 9 (घ) में विहित एक या दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन बिहार सेवा संहिता के नियम 96 (1) (ख) और 97 के परन्तुक का प्रतिनिर्देश कर किया जायेगा।

टिप्पणी—यदि किसी निबन्धित सरकारी सेवक का मुख्यालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में बदल दिया जाए, तो वह नए स्थान पर अनुमान्यता के अनुसार इस भत्ता का हकदार होगा, परन्तु उसे ऐसे स्थान के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(छ) पुनर्नियोजित पेंशनधारी—पुनर्नियोजित पेंशनधारियों के मामले में मकान भाड़ा भत्ता की निकासी निम्नलिखित रूप में विनियमित की जाएगी—

(क) जिन पदाधिकारियों का वेतन और पेंशन मिलाकर उस पद के लिए स्वीकृत अधिकतम से अधिक हो जाए उनके मामले में इस भत्ता की गणना उस अधिकतम के आधार पर की जाएगी।

(ख) किसी पद पर पुनर्नियोजन पर जिन पदाधिकारियों का वेतन उनके सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी भाग को ध्यान में रखे बिना नियत किया जाए उनके मामले में मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ भी पेंशन की छोड़ी गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

(ग) अन्य मामलों में इस भत्ता की गणना वेतन और पेंशन के जोड़ पर की जायेगी।

टिप्पणी—खण्ड (छ) के प्रयोजनार्थ—

(क) **"पेंशन"** से अभिप्रेत है पेंशन में अस्थाई वृद्धि तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, सहित सकल पेंशन;

(ख) पुनर्नियोजन की शर्तस्वरूप पेंशन की प्रास्थापित राशि (Amount pension held in obeyance) यदि कोई हो, को घटाकर मूलतः स्वीकृत (अर्थात् रूपान्तरण, यदि कोई हो, से पूर्व) राशि पेंशन की राशि होगी।

(ज) स्वयं किराया भुगतान नहीं करने वाली महिला सरकारी सेविका—अपने पति के साथ रहने वाली विवाहित महिला सरकारी सेविका के मामले में तथा अपने पिता या परिवार के अन्य सदस्यों, को सरकारी सेवक नहीं हो के साथ रहनेवाली अविवाहित महिला सरकारी सेवक के मामले में यथास्थिति, उसके पति या पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाने वाला किराया उसके महिला सरकारी सेविका द्वारा भुगतान किया गया किराया माना जाएगा। ऐसा सरकारी सेवक, यदि इस नियमावली के अधीन अन्यथा अनुमान्य हो, तो मकान भाड़ा भत्ता का पात्र होगी।

सरकारी सेवक, जिन्हें अपना मकान हो

8. (i) अपने, अपनी पत्नी, बच्चे, पिता या माता के स्वामित्व वाले मकान में रहने वाला सरकारी सेवक भी इस नियमावली के अधीन मकान भाड़ा भत्ता का पात्र होगा। ऐसे मामलों में, मकान का सकल किराया मूल्य या यदि वह (मकान) उसके अधिभोग में न हो तो (नगरपालिका प्रयोजन के लिए या अन्यथा इसके निर्धारित मूल्य से यथा-अभिनिश्चित) अलग से "सेवा कर" एवं इस रूप में वर्णित से भिन्न मकान मालिक द्वारा विधिक रूप से भुगतेय नगरपालिका और अन्य करों सहित मरम्मत मद्दे 10 प्रतिशत धूर की घटौती किए बिना उसे इस नियमावली के प्रयोजनार्थ निजी आवास के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया किराया माना जाएगा।

जब मकान के किसी भाग के सम्बन्ध में अलग से निर्धारित मूल्य उपलब्ध न हो तब सरकारी सेवक के वास्तविक अधिभोग की कुर्सी क्षेत्र के सन्दर्भ में आनुपातिक गणना की जाएगी। यदि मकान किसी नगरपालिका/स्थायी पर्षद्/अधिसूचित क्षेत्र/कैन्टोनमेंट पर्षद् के अन्तर्गत अवस्थित हो, तो उपर्युक्त मामलों में मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति इन प्राधिकारों द्वारा यथा निर्धारित किराया मूल्य के आधार पर निष्पवाद रूप से विनियमित किया जाए।

स्पष्टीकरण—यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि राज्य सरकार के जिन सरकारी सेवकों ने निजी गृह निर्माण सोसाइटियों/बिहार राज्य आवास बोर्ड से किराया-सह-खरीद के आधार पर मकान-फ्लैट लिया है उनके मकान भाड़ा भत्ता के दावे को किस प्रकार विनियमित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में नगरपालिका प्राधिकारियों, आदि द्वारा इन परिसरों के लिए यथानिर्धारित किराया-मूल्य मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति का आधार होगा।

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्वता से मकान, जिसमें सरकारी सेवक साझेदार के रूप में रह रहा हो, ऐसे मामले में, मकान भाड़ा भत्ता का विनियमन मकान के उस भाग के खंड (i) के अनुसार निर्धारित सकल किराया मूल्य के आधार पर होगा, जो भाग वास्तव में उसके अधिभोग में हो न कि हिन्दू अविभाजित परिवार के प्रबंधक को उसके द्वारा चुकाए जाने वाले किराए के दावे के आधार पर।

टिप्पणी खंड—(i) और (ii) में निर्दिष्ट सरकारी सेवकों को मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति उन्हीं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी जो निजी किराए के मकानों में निवास करने वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होती हों।

समीक्षा—ऊपर खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट सरकारी सेवकों को मकान भाड़ा भत्ता उन्हीं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन दिया जाएगा जो निजी किराए के मकान में निवास करने वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होती हों।

(iii) जिस सरकारी सेवक को उसके कर्त्तव्य स्थल पर अपना मकान हों, किन्तु वह अपने मकान की बजाए किराया के मकान में रहता हो, उसे मकान भाड़ा भत्ता, यदि अन्यथा अनुमान्य हो, तो किराए के मकान के सन्दर्भ में भुगतान किया जाएगा।

प्रमाण-पत्र

9. (क) हरेक सरकारी सेवक मकान भाड़ा भत्ता के अपने प्रथम दावा के साथ-साथ अनुलग्नक II, II-अ, III-आ या III-ई, जो भी उसपर लागू होता हो, में दिए गए फारम में प्रमाण-पत्र देगा तथा जब कभी उससे सम्बन्धित या भिन्न आवास और/या भुगतेय भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व में दिया गया अन्तिम प्रमाण-पत्र के उपबन्धों में कोई परिवर्त्तन हो तब प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(ख) जहाँ अराजपत्रित सरकारी सेवक अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपने-अपने कार्यालय प्रधान को देंगे वहाँ राजपत्रित पदाधिकारी अपना प्रमाण-पत्र मकान भाड़ा भत्ता से सम्बन्धित अपने प्रथम दावे के साथ महालेखाकार को देंगे और प्रत्येक वर्ज़ अपने जनवरी एवं जुलाई के वेतन बिल के साथ उसे संलग्न करेंगे।

(ग) प्रमाण-पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा हर वर्ष जनवरी और जुलाई के उस विपत्र पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिस विपत्र में अराजपत्रित पदाधिकारियों के लिए मकान भाड़ा भत्ता की निकासी की जाती हो।

(i) "प्रमाणित किया जाता है कि उन सभी सरकारी सेवकों के मामले में जिनके लिए इस विपत्र में मकान भाड़ा भत्ता की निकासी की जा रही है। उनके इस भत्ता की पात्रता की जाँच नियम 4 के सन्दर्भ में कर ली गई है।"

(ii) "प्रमाणित किया जाता है कि इस विपत्र में जिन सरकारी सेवकों के लिए मकान भाड़ा भत्ता की निकासी की जा रही है (उन्होंने आवेदन किया है, किन्तु) उन्हें कोई सरकारी आवास उपबंधित नहीं किया गया है।"

(iii) "प्रमाणित किया जाता है कि सरकार द्वारा विहित प्रमाण-पत्र उन सरकारी सेवकों से प्राप्त कर लिए गए हैं, जिनके लिए इस विपत्र में मकान भाड़ा भत्ता की निकासी की जा रही है और मैं संतुष्ट हूँ कि दावे प्रवृत्त नियमावली के अनुसार है।"

टिप्पणी—खंड (ii) में कोष्ठक के अन्तर्गत दर्शाए गए शब्दों को उन सरकारी सेवकों के मामले में विलोपित किया जा सकता है जिनके लिए इस भत्ते की निकासी की जा रही हो, किन्तु वे सरकारी आवास के हकदार न हों अथवा यदि उनके मामले नियम 5 के अधीन दी गई टिप्पणियों से आच्छादित हों।

सन्दर्भ—बिहार कोषागार संहिता, नियम 270 (2) (क) फारम 27 में उपबंधित प्रमाण- पत्र भी दिया जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रमाण-पत्र देने के लिए नियम में कोई वर्जन नहीं है।

(घ) नियम 7 के खंड (ग) के उपखंड (i) और (iv), (घ), (ङ) और (च) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार होंगे—

सम्बन्धित सरकारी सेवक ने जिस अवधि के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा किया है, उस अवधि में उसने उसी स्थान (चाहे इसकी अर्हक सीमा के अन्तर्गत हो या पास-पड़ोस का क्षेत्र), जहाँ से वह निलम्बित किया गया/छुट्टी पर गया/विदेश में प्रतिनियुक्ति पर गया/प्रशिक्षण पर गया/ पर मकान बरकरार रखा।

टिप्पणी 1—उपर्युक्त प्रमाण-पत्र में प्रयुक्त "पार्श्व के क्षेत्र" उस क्षेत्र का निर्देश करता है जहाँ से सरकारी सेवक सामान्यत: अपने कर्त्तव्य पर आता हो।

टिप्पणी 2—यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा आवास उप किराया पर दिया जाता हो तो ऊपर उद्धरित खंडों में निर्देशित दशाओं में उसका मकान भाड़ा भत्ता नियम 6 (ख) (i) में विहित रीति से विनियमित होगा।

10. यह नियमावली निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा—

(क) तदर्थ या वेतन के वैयक्तिक दर पर नियुक्त सरकारी सेवक के मामले में जबतक उनकी नियुक्ति के स्वीकृत्यादेश में विनिर्दिष्ट रूप से वेतन के अतिरिक्त मकान भाड़ा भत्ता की निकासी का उपबंध न हो;

(ख) आकस्मिकता से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों।

11. यह नियमावली वैसे सरकारी सेवकों पर भी लागू होगी जो सेवा शर्त्त के तहत् किराया मुक्त आवास के बदले मकान भाड़ा भत्ता के हकदार हों।

अनुलग्नक-I

बिहार राज्य के 'ए', 'बी-2' और 'सी' वर्ग के नगरों की सूची जहाँ नियम 3 के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता अनुमान्य होगा

'ए', 'बी-1'	'बी-2'	'सी'
1.	[1][जमशेदपुर शहरी समूह]	आरा, बरौनी, बेगूसराय (शहरी समूह) बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो स्टील सिटी शहरी समूह, छपरा [1][डालटेनगंज], दरभंगा
	पटना शहरी समूह (राँची शहरी समूह)	डिहरी, धनबाद [1][देवघर—शहरी समूह], गिरिडीह—शहरी समूह गया, हजारीबाग, [1][हाजीपुर], जमालपुर, कटिहार—शहरी समूह [1][किशनगंज, मोकामा, मोतिहारी शहरी-समूह], मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पतरातु—शहरी समूह, पूर्णियाँ—शहरी समूह [सहरसा], सासाराम, [सिवान]

अनुलग्नक II

[1][1,069 रु०] तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले राज्य सरकार के सेवक तथा 1,069 रु० से ऊपर वेतन पाने वाले किन्तु [1][1,069 रु०] प्रतिमाह वेतन के सन्दर्भ में मकान भाड़ा भत्ता का दावा करने वाले राज्य सरकार के सेवक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र]

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि [2][मैंने विहित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास के लिए आवेदन किया है, किन्तु] जिस अवधि के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा दिया गया उस अवधि के दौरान मुझे सरकारी आवास उपबंधित नहीं किया गया है । मैंने सरकारी आवास का आवंटन अस्वीकृत कर दिया है ।

2. प्रमाणित करता हूँ कि मैं मेरी पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/पिता/माता द्वारा लिए गए किराए के मकान में अपने हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका मैं सहभागी हूँ, के स्वामित्व वाले मकान में रहता/रहती हूँ।

3. प्रमाणित करता हूँ कि मैं किराया मद में कुछ व्यय कर रहा हूँ / किराया मद में अंशदान कर रहा हूँ ।

या,

[3][प्रमाणित करता हूँ कि मेरे/हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका मैं सहभागी हूँ, और जिसमें मैं रह रहा हूँ, के स्वामित्व वाले मकान का किराया-मूल्य नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति से अभिनिश्चित किए जाने योग्य है। प्रमाणित करता हूँ कि मैं मकान या सम्पत्ति कर में भुगतान/अंशदान कर रहा हूँ ।

4. प्रमाणित करता हूँ कि मैं सरकार द्वारा मेरे माता-पिता (बच्चे) को राज्य/केन्द्र सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि द्वारा आवंटित आवास, दूसरे सरकारी सेवक को आवंटित किराया मुक्त आवास में साझे में नहीं रह रहा हूँ ।

5. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/मेरी/पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि के दूसरे कर्मचारी को आवंटित आवास में मेरे साथ साझे में रह रहे/रही हैं, केन्द्र सरकार/राज्य संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि से मकान भाड़ा भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे/रही हैं ।

6. मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी/मेरे पत्नी/पति को उसी स्थान पर केन्द्र/राज्य सरकार/स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि द्वारा कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

दिनांक ....

---

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/ए3-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास के पात्र न हों या वाद उसका मामला नियम 5 (ख) के अधीन दी गई टिप्पणियों के अन्तर्गत आच्छादित हो या जहाँ मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता के लिए सरकारी आवास आवंटन हेतु आवेदन करना उसके लिए बाध्यकारी न हो, तो कोष्ठकों में दर्शाए गए शब्दों को विलोपित किया जा सकता है ।
3. अपने मकान में या हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका वह सहभागी हो, के स्वामित्व वाले मकान में रहने वाले सरकारी सेवकों द्वारा दिया जाएगा ।

अनुलग्नक III-अ

(नियम 9 संदर्भित)

नियम 6 के निबंधनों के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के लिए उस सरकारी सेवक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र, जो [1][1,069 रु०] प्रतिमाह से अधिक वेतन निकासी कर रहा हो

1. प्रमाणित करता हूँ कि मैं किराया के मकान (परिसर का पता) में/दूसरे सरकारी सेवक यथा (नाम, पदनाम और कार्यालय) द्वारा किराए पर लिए गए मकान .... (परिसर का पता) में उप किराएदार के रूप में दिनांक .... से दिनांक .... तक रह रहा हूँ और मैं .... रु० मासिक किराया का भुगतान कर रहा हूँ। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित/सम्मिलित नहीं है ।

2. [2][(क) नगरपालिका या अन्य कर .... में अधिभोगी का शेयर .... रु० जो विधिक रूप से किराएदार द्वारा भुगतेय न हो;

[2][(ख) अलग से उद्ग्रहणीय सेवा कर .... रु०, और इसी रूप में वर्णित .... अवधि के लिए ।

[3][3. प्रमाणित करता हूँ कि जिस आवास के सम्बन्ध में भत्ता का दावा किया जा रहा है उसे नियम 2 (ग) या (ख) में यथा परिभाजित मेरे परिवार के सदस्य/सदस्यों यथा मेरे/मेरी पति/पुत्र/ पुत्री/माता-पिता, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वशासी लोक उपक्रम/ अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगपालिका, पोर्टट्रस्ट/स्वशासी निकाय, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाए गए हैं, यथा राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि, से कोई मकान भाड़ा भत्ता की निकासी नहीं कर रहे हैं, से भिन्न किसी व्यक्ति को उप किराया पर नहीं दिया गया है या वह सामान्यत: उसके अधिभोग भोग में नहीं है ।

4. प्रमाणित करता हूँ कि, †(जिस अवधि के लिए इस भत्ता का दावा किया जा रहा है उस अवधि में मैंने विहित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास के लिए आवेदन किया है) किन्तु †(मुझे सरकारी आवास उपबंधित नहीं किया गया है) मैंने सरकारी आवास का आवेदन अस्वीकार कर दिया है ।

5. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी/मेरे पति को एक ही स्थान पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि द्वारा पारिवारिक आवास आवंटित नहीं किया गया है ।

जिस आवास के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा मेरे द्वारा किया गया है उसे वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में उपभोग नहीं किया जा रहा है ।

6. प्रमाणित करता हूँ कि जिस आवास के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका एक भाग दिनांक .... से वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किया जा रहा है ।

दावा किया गया मकान भाड़ा भत्ता

(ऐसे मामलों में जहाँ आवास गैर-पारिवारिक सदस्यों को उपकिराया पर या अधिभोग में नहीं दिया गया हो)

ऊपर उल्लिखित उपमद (क) और (ख) को छोड़कर

भुगतान किया जाने वाला मासिक किराया — X

वेतन का 10 प्रतिशत — Y

दावा किया गया मकान भाड़ा भत्ता — X–Y (विहित सीमा के अध्यधीन)

(ऐसे मामले जहाँ आवास गैर-पारिवारिक सदस्यों को उप किराया पर या अधिभोग में दिया गया हो)

ऊपर वर्णित उपमद (क) और (ख) को छोड़कर

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/ए3-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. जो भी उपखण्ड लागू नहीं होता हो उसे विलोपित कर दें ।
3. यदि लागू न होता हो तो उसे विलोपित कर दें ।

† कोष्ठक में दिये गये छाब्द विलोपित किए जा सकेंगे, यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास का पात्र न हो अथवा यदि उसका मामला नियम 5 (ख) के नीचे दी गई टिप्पणी 8 के अन्तर्गत आच्छादित हो अथवा जहाँ सरकारी आवास आवंटन के लिए आवेदन करना उसके लिए बाध्यकारी न हो।

भुगतान किया जाने वाला मासिक किराया — X

लिया जाने वाला भाड़ा —

वेतन का 10 प्रतिशत — Y

दावा किया गया मकान भाड़ा — (विहित सीमा के अध्यधीन)

अनुलग्नक III-आ

(नियम 9 सन्दर्भित)

नियम 6 के साथ पठित नियम 8 के निबंधनों के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के लिए [1][1,069 रु०] प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित करता हूँ कि मैं अपनी/अपने पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता के स्वामित्व वाले मकान .... (परिसर का पता) में दिनांक .... से दिनांक .... तक रह रहा हूँ और उसका नगरपालिका प्रयोजन के लिए या अन्यथा यथा निर्धारित किराया मूल्य (मरम्मती के लिए 10 प्रतिशत घटौती के बिना) .... रुपये है । इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं/सम्मिलित नहीं है ।

[2][(क) मकान मालिक द्वारा भुगतेय नगरपालिका एवं अन्य कर .... रुपये ।

[2][(ख) अलग से उद्गृहीत सेवाकर तथा .... अवधि के लिए .... रुपये के रूप में यथावर्णित ।

[3][2. प्रमाणित करता हूँ कि जिस आवास के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा किया जा रहा है वह नियम 2 (ग) या (ख) में यथा परिभाषित मेरे परिवार से भिन्न किसी सदस्य/सदस्यों अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/माता-पिता, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वशासी लोक उपक्रम/अर्द्धसरकारी संगठन, यथा, नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, संसद के अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाए गए स्वशासी निकायों, यथा, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से मकान भाड़ा भत्ता की निकासी करते हों, के सामान्यत: अधिभोग में नहीं है ।

3. प्रमाणित करता हूँ कि [3][मैंने विहित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास आवंटन के लिए आवेदन किया है, किन्तु] जिस अवधि के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा किया गया है

उस अवधि में मुझे सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है। / मैंने सरकारी आवास का आवंटन लेना अस्वीकार कर दिया है।

4. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट आदि द्वारा एक ही स्थान पर पारिवारिक आवास आवंटित नहीं किया गया है ।

5. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि: [2][जिस आवास के लिए आवास भत्ता का दावा किया जा रहा है उसे वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं लिया जा रहा है । / जिस आवास के लिए आवास भत्ता का दावा किया जा रहा है उसका एक भाग वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ।

---

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/एउ-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. जो भी उपखण्ड लागू नहीं होता हो उसे विलोपित कर दें ।
3. कोष्ठक में दिए गए शब्द विलोपित किए जा सकेंगे, यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास का पात्र न हों अथवा यदि उसका मामला नियम 5 (ख) के नीचे दी गई टिप्पणी 8 के अन्तर्गत आच्छादित हो अथवा जहाँ सरकारी आवास आवंटन के लिए आवेदन करना उसके लिए बाध्यकारी न हो ।

दावा किया गया मकान भाड़ा भत्ता

उपर्युक्त उपमद (क) सहित किन्तु उपमद (ख) छोड़कर मासिक किराया मूल्य	रु० — X
वेतन का 10 प्रतिशत	— Y
दावा किया जाने वाला मकान भाड़ा भत्ता	— X–Y (विहित सीमा के अध्यधीन)

जिन मामलों में आवास परिवार से भिन्न सदस्यों के अधिभोग में हो—

उपर्युक्त उपमद (क) सहित किन्तु उपमद (ख) छोड़कर मासिक किराया मूल्य	— X
लिया जाने वाला भाड़ा	— $\frac{3X}{5}$
वेतन का 10 प्रतिशत	— Y
दावा किया गया मकान भाड़ा	— (विहित सीमा के अध्यधीन)

अनुलग्नक III-ग

(नियम 9 सन्दर्भित)

अपने या जिस हिन्दू अविभाजित परिवार का वह सहभागी हो उस परिवार के स्वामित्व वाले मकान …………(परिसर का पता) में रह रहे तथा प्रतिमाह [1][1,069 रु०] से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक द्वारा मकान भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के लिए (नियम 8 के निबंधनों के अनुसार) दिया जानेवाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित करता हूँ कि मैं दिनांक ………… से दिनांक ………… तक अपने स्वामित्व वाले अपने हिन्दू अविभाजित परिवार जिसका मैं सहभागी हूँ, के स्वामित्व वाले मकान ………… (परिसर का पता) में रह रहा हूँ और नगरपालिका प्रयोजन अथवा अन्यथा उसके लिए निर्धारित उसका किराया मूल्य (मरम्मती के लिए 10 प्रतिशत की छूट के बिना) ………… रु० है । इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है/सम्मिलित नहीं है।

[2][(क) मकान मालिक द्वारा भुगतेय नगरपालिका तथा अन्य कर ………… रुपये ।

[2][(ख) अलग से उद्गृहीत सेवाकर तथा ………… अवधि के लिए ………… रुपये के रूप में यथावर्णित ।

2. प्रमाणित करता हूँ कि जिस आवास के संबंध में भत्ता का दावा किया जा रहा है वह नियम (2) (ग) या (ख) में यथापरिभाषित मेरे परिवार से भिन्न किसी सदस्य/सदस्यों अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति/पुत्र/पुत्र/माता-पिता जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम, अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, संसद के अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाए गए स्वशासी निकायों, यथा राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से मकान भाड़ा भत्ता की निकासी करते हों, के सामान्यत: अधिभोग में नहीं है ।

3. प्रमाणित करता हूँ कि [2][मैंने विहित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास-आवंटन के लिए आवेदन किया है किन्तु] जिस अवधि के लिए मकान भाड़ा भत्ता का दावा किया गया है

अवधि में — मुझे सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है।
मैंने सरकारी आवास का आवंटन लेना अस्वीकार कर दिया है।

4. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वशासी लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी संगठन, यथा नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट, आदि द्वारा एक ही स्थान पर पारिवारिक आवास आवंटित नहीं किया गया है ।

---

1. वित्त विभागीय आदेश सं० 3/एउ-4/82-4344 स०वि०, दिनांक 30-4-1983 (1-10-1982 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. जो भी उपखण्ड लागू नहीं होता हो उसे विलोपित कर दें ।

5. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि :

[1][जिस आवास के लिए आवास भत्ता का दावा किया जा रहा है उसे वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं लिया जा रहा है ।

जिस आवास के लिए आवास भत्ता का दावा किया जा रहा है उसका एक भाग वस्तुत: आवासीय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ।

अनुसूची IV

[सन्दर्भ नियम 4 (ख) II टिप्पणी]

शहरी समूह के अंग (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी भारत जनगणना, 1971 सारणी IV सीरीज 1, 1972 का भारत पेपर I—अन्तिम जनसंख्या, उसके साथ अनुलग्न परिशिष्ट के साथ पठित)

शहरी समूह का अर्थ है शहरी आबादी वाला पास-पड़ोस का क्षेत्र सहित मुख्य शहर तथा इसे एक ही शहरी विस्तार माना जाता है । ऐसे विस्तार के अन्तर्गत पड़नेवाली जनसंख्या को शहरी जनसंख्या की कोटि में रखा जाता है, ऐसा हरेक समूह आपस में एक-दूसरे से सटे एक से अधिक कानूनी शहरों, यथा, नगरपालिका, पास-पड़ोस में पड़नेवाली छावनी, आदि तथा अन्य शहरी आबादी, यथा रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, आदि को मिलाकर बनता है । ऐसी बाह्य वर्धन, जिसे स्वत: शहर माने जाने की अर्हता तो नहीं होती, किन्तु उन्हें शहरी विशिष्टताएँ रखता हो, को शहरी-समूह के अंग के रूप में दर्शाया गया है ।

शहरी समूह (श०स०), दो स्थितियों में हैं, अर्थात् (i) वैसा शहरी-समूह जो मुख्य शहरी और बाह्य-वर्धन को मिलाकर बना हो तथा (ii) वैसा शहरी-समूह, जो दो शहरों और उनके बाह्य-वर्धन यदि कोई हो, को मिलाकर बना हो ।

बिहार

1. बोकारो लौह नगरी

बोकारो लौह नगरी	चास

2. धनबाद

बेरा	भगताडीह
भौरा	भुली
धनबाद	झरिया
जोरा पोखर	केन्दुआडीह
लोयाबाद	पाथरडीह
सिजुआ	सिन्दरी
जामादोबा	

3. दानापुर

दानापुर छावनी	दानापुर (न०)
निजामत	

4. जमशेदपुर

आदित्यपुर (अ०)	बेगबेरा
(i) जमशेदपुर (अ०)	(ii) रेलवे कॉलोनी
जुगसलाई	कालीमाटी

5. पटना

(i) पाटलिपुत्र हाउसिंग कन्स्ट्रक्सन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि०

(ii) पटना नगर निगम, फुलवारी

---

1. जो भी उपखंड लागू नहीं होता हो उसे विलोपित कर दें।

6. पूर्णिया

कसबा	पूर्णिया (न०)

7. राँची

डोरंडा (अ०)	जगन्नाथ नगर
राँची (न०)	

टिप्पणी—कोष्ठक में दिए गए (न०) का अर्थ है नगरपालिका और (अ०) का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र।

अनुसूची IV-अ

श्री बी०बी० लाल, निदेशक, जनगणना कार्य, बिहार द्वारा जारी भारत जनगणना, 1981, सारणी 2, सीरीज 4, बिहार विषयक् 1981 के तथ्य विवरण तथा प्रस्तावना की कंडिका II से लिया गया उद्धरण

बिहार में वर्ष 1971 में 202 शहरों की अपेक्षा 1981 में यह संख्या बढ़कर 220 हो गई । इन शहरों में से कई शहरों को एक साथ मिलाकर शहरी समूह बना दिया गया है और तद्नुसार इस तथ्य-विवरण में उन्हें दर्शाया गया है । सारिणी 2 में दर्शाए गए आँकड़े शहरी-समूह और उनके अंग दोनों के लिए है । हमारे देश में शहरी समूह की परिकल्पना का प्रादुर्भाव प्रथमत: 1971 में जनगणना अध्ययनों के सिलसिले में हुआ । 1971 में अपनाई गई परिभाषा 1981 में भी कायम रखी गई । शहरी समूह को "किसी शहर का लगातार शहरी विस्तार तथा उसके पास-पड़ोस का शहरी बाह्य प्रसार या दो अथवा दो से अधिक वास्तविक रूप से लगातार बसे शहर तथा ऐसे शहरों के साथ मिले बाह्य-वर्धन यदि कोई हो, के लगातार विस्तार" के रूप में परिभाषित किया गया है । चूँकि ऐसे वस्तुत: लगातार बसी इकाइयों के बीच यथेष्ठ सामाजिक-आर्थिक अन्तर-सम्बन्ध होता है, इसलिए इन्हें एक ही शहरी समूह में रखना उपयुक्त समझा गया । उदाहरणार्थ, धनबाद शहरी समूह के अन्तर्गत कानूनी और अकानूनी दोनों प्रकार के 17 शहर हैं तथा ये न केवल एक-दूसरे के साथ लगातार बसे हुए हैं एवं लगातार शहरी प्रसार के रूप में बने हुए हैं बल्कि औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए ये वस्तुत: एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार पटना शहरी के अन्तर्गत भी केवल पटना नगर निगम क्षेत्र ही नहीं है । तथ्य यह है कि जब हम पटना शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तब वास्तव में उसका अर्थ होता है, पटनानगर निगम की लगातार शहरी विस्तार, इसका दो बाह्य प्रसार, यथा पाटलिपुत्र, हाउसिंग कॉलोनी, तथा दीघा, मैनपुरा एवं तीन शहरी, दानापुर निजामत नगरपालिका, दानापुर छावनी पर्षद् और फुलवारी अधिसूचित क्षेत्र समिति । इस प्रकार पटना शहरी समूह के अन्तर्गत मुख्य शहर के साथ-साथ उपर्युक्त दो शहरी बाह्य विस्तार एवं तीन शहर पड़ते हैं ।

मकान भाड़ा भत्ता के लिए अर्हता प्राप्त शहरों की सूची

क्र०सं० शहर/नगर का नाम

1. **पटना शहरी समूह**
   - (i) पटना नगर निगम
   - (ii) दीघा-मैनपुरा (बाह्य-विस्तार)
   - (iii) पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी (बाह्य-विस्तार)
   - (iv) दानापुर-निजामत (नगरपालिका)
   - (v) दानापुर छावनी
   - (vi) फुलवारी शरीफ
2. **धनबाद शहरी समूह**
   - (i) धनबाद (नगरपालिका
   - (ii) केरकेंड शहर
   - (iii) सिंदरी (अधिसूचित क्षेत्र)
   - (iv) जोरापोखर शहर
   - (v) झरिया (अधिसूचित क्षेत्र)
   - (vi) तिरसा शहर
   - (vii) भुली शहर
   - (viii) भौरा शहर
   - (ix) कतरास-सह-सालमपुर शहर
   - (x) लोयाबाद शहर
   - (xi) जामादोबा शहर
   - (xii) पाथरडीह शहर
   - (xiii) भगताडीह शहर
   - (xiv) सिजुआ शहर
   - (xv) सरायकेला शहर
   - (xvi) केन्दुआडीह शहर
   - (xvii) आंगरपाथर शहर

3. **जमशेदपुर शहरी समूह**
   (i) जमशेदपुर (अधिसूचित क्षेत्र)
   (ii) टाटानगर रेलवे कॉलोनी
   (iii) मानगो (अधिसूचित क्षेत्र)
   (iv) आदित्यपुर (अधिसूचित क्षेत्र)
   (v) बागवेरा शहर
   (vi) जुगसलाई (नगरपालिका)
   (vii) छोटा गोबिन्दपुर शहर
4. **राँची शहरी समूह**
   (i) राँची नगर निगम
   (ii) कांके शहर
5. **बोकारो लौह नगरी-शहरी समूह**
   (i) बोकारो (नगरपालिका)
   (ii) चास (अधिसूचित)
6. **गया (नगरपालिका)**
7. **भागलपुर (नगरपालिका)**
8. **मुजफ्फरपुर (नगरपालिका)**
9. **दरभंगा (नगरपालिका)**
10. **बिहारशरीफ (नगरपालिका)**
11. **मुंगेर (नगरपालिका)**
12. **आरा (नगरपालिका)**
13. **कटिहार शहरी समूह**
   (i) कटिहार (नगरपालिका)
   (ii) कटिहार रेलवे कॉलोनी
14. **छपरा (नगरपालिका)**
15. **पूर्णिया शहरी समूह**
   (i) पूर्णिया (नगरपालिका)
   (ii) कसबा (अधिसूचित क्षेत्र)
16. **पतरातू शहरी समूह**
   (i) सौंदा शहर
   (ii) पतरातू शहर
17. **डिहरी (नगरपालिका)**
18. **हजारीबाग (नगरपालिका)**
19. **जमालपुर (नगरपालिका)**
20. **सासाराम (नगरपालिका)**
21. **बेतिया (नगरपालिका)**
22. **बेगूसराय शहरी समूह**
   (i) बेगूसराय (नगरपालिका)
   (ii) बरौनी भारतीय तेल निगम शहरी क्षेत्र
23. **गिरिडीह (नगरपालिका)**
24. **मोतिहारी शहरी समूह**
   (i) मोतिहारी (नगरपालिका)
   (ii) लोथहा (अधिसूचित क्षेत्र)
25. **हाजीपुर**
26. **देवघर शहरी समूह**
   (i) देवघर (नगरपालिका)
   (ii) जसीडीह
27. **सहरसा (नगरपालिका)**
28. **बरौनी शहर**
29. **डालटेनगंज**
30. **किशनगंज (नगरपालिका)**
31. **सिवान (नगरपालिका)**
32. **मोकामा (नगरपालिका)**